

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी : ओपीओबिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 298/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पॉन्डेन्ट
1. राधेश्याम पुत्र बंशीराम 2. ओमप्रकाश पुत्र बंशीराम जाति ढोली निवासी- सेवगांव, तहसील बावडी, जिला जोधपुर।		1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बावडी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बावडी के द्वारा पारित आदेश क्रमांक  
राज/ 364 से 366 दिनांक 03.05.2019 को पारित किया गया।

उपस्थिति:-

- 1- श्री लादूराम पूनिया, अशोक पूनिया, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से।
- 2- श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पॉन्डेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 31 जुलाई, 2023

अपीलान्ट के द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा पारित आदेश  
03.05.2019 के विरुद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारों के अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।  
वकील अपीलांटस ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन  
किया कि उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा पारित आदेश पूर्ण रूप से न्याय, नियम,  
अभिलेख एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध, मनमाना व स्पष्ट रूप से न्यायिक  
प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने  
से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई सूचना का नोटिस नहीं दिया व न ही अपीलाधीन  
आदेश पारित करने के समय वे उपस्थित रहे थे। हाल ही पटवारी हल्का से अपने खेत  
की जमाबन्दी की नकल लेने के लिये, तो रेकार्ड देखकर बताया कि आपके खेत पुराने  
ख०सं० 116 को अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 3.5.2019 की पालना में सामलात में  
खातेदारी में जरिये नामा० के दर्ज कर दी गई है तब अपीलार्थी ने नामा० संख्या 340 की  
नकल दिनांक 24.7.2023 को प्राप्त की। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की जानकारी  
प्रथम बार अपीलार्थीगण को हुई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करते  
हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित की  
जावे।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थी सेवगांव पटवार हल्का  
सेवकीकला के ख०सं० 116/2 रकबा 3.19 बीघा किस्म बारानी-द्वितीय का आवंटित  
खातेदार काश्तकार है जिसके खाता शुरू से जमाबन्दी में अलग नम्बर डाले हुए है तथा  
मौके पर भी रकबा सामलाती नहीं है तथा उसकी नक्शा तरमीम अलग की हुई है।  
अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा ख०सं० 116 के समस्त बटटा नम्बर  
का एक ही खाता होना मानकर तरमीम नहीं होना कहते हुए इसके समस्त बटटा नम्बर



समस्त बट्टा नम्बरान के खातेदारान को सहखातेदार दर्ज करने का आदेश देने में भारी गंभीर त्रुटि की है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वनटूवन मिलान के मध्यनजर रिकार्ड व मौका व नक्शे में भिन्नता होना मानकर सम्पूर्ण बट्टा नम्बर का एकीकरण करने का आदेश दिया है, वह क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राज0 भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियमों के विरुद्ध एवं उनकी अनदेखी करते हुए पारित किया गया है जबकि उक्त नियमों में किसी खसरा नम्बर से कोई आंशिक भाग हस्तान्तरण हो या आवंटन हो तो उसको अलग से जहाँ उसका आवंटन किया गया है, उसी जगह तरमीम करने और रेकार्ड तैयार करने के अनिवार्य प्रावधान दिये गये हैं। इन प्रावधानों को बिना देखे ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य हैं।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन कार्यवाही का कोई नोटिस अपीलार्थी को नहीं दिया और न ही उनको सुनवाई का मौका प्रदान किया गया था जबकि उसके अधिकार अभिलेख में परिवर्तन करने का आदेश बिना खातेदार की सुनवाई का मौका दिये बिना नहीं किया जा सकता था जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि मूल खसरा संख्या 116 की समस्त बट्टा नम्बर के खातेदार मौके पर अलग-अलग अपने रकबे पर काबिज है तथा सभी सामलात में काबिज नहीं है। इसलिये सामलात में खातेदारी दर्ज किया जाना खातेदारान के हक अधिकारों पर कुठाराघात करने वाली कार्यवाही सम्पादित की गई है। अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.5.2019 को निरस्त किया जावे एवं उसके परिणामस्वरूप दर्ज किये गये नामा0 संख्या 340 दिनांक 29.5.2019 को भी अपीलार्थीगण के हिस्से तक निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युत्तर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, बावडी की ओर से ग्राम सेवगांव के वादग्रस्त खसरा नम्बर भूमि बाबत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र करते हुए जमाबन्दी सेग्रीगेशन के समय हुई अभिलेख त्रुटि की दुरुस्ती हेतु आवेदन किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट, भू0 अ0 निरीक्षक एवं तहसीलदार की ओर से की गई अनुशंसा के आधार पर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.05.2019 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजों आदि का अध्ययन किया जिससे यह



सेवगांव वक्त आवंटन से रिकार्ड में दर्ज है जिसकी पृथक पहचान है व मौके पर उनका कब्जा काश्त है। इसके बावजूद हितबद्ध पक्षकारान को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही खसरा संख्या 116 के बट्टा नम्बरान को एकीकृत किये जाने का पारित किया गया अपीलाधीन आदेश न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। उक्त कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अतः उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2019 बहाल रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2019 को निरस्त किया जाकर खसरा संख्या 116/2 रकबा 3.19 बीघा ग्राम सेवगांव, तहसील बावडी की उक्त पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.5.2019 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय आज दिनांक 31 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(ओपीओबिश्नोई)  
अतिरिक्त सहाय्यी आयुक्त  
जायपुर